# मध्यप्रदेश विधान सभा

## जून - अगस्त, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

## शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 1991 (श्रावण 11, 1913)

## समय 10.30 बजे

### 1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सर्वश्री जगदीश देवड़ा, नानालाल पाटीदार, शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम बसई के पास एक यात्री बस को लूटे जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर जिले की हरसी बांध से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की समक्ष लंबित प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों पर शासन द्वारा कार्यवाही की अनुमति न दिये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री हरिसिंह नरवरिया, श्रीराम जाटव, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद में हुई शहर के मध्य एक व्यक्ति की हत्या की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, टमस बराज का जल स्तर बढ़ने से रहवासियों के समक्ष उत्पन्न ग्राम छोड़ने की स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कमलेश्वर द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले की सिंगरोली कोयला खदान क्षेत्र की टनल धसने से घटित अनेक श्रमिकों की मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा स्थित कालेज चौराहे पर हुई बस दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले में संक्रामक बीमारी फैलने से हुई पशुओं की मृत्यु की ओर राज्य मंत्री, पशुधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती रामरानी जौहर, सदस्य, जबलपुर जिले के झिंझरी शासकीय गोदाम से जप्त तेंदू पत्ते के संबंध में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री कैलाश दायमा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर जिले के कई गोदामों में संग्रहीत तेंदू पत्ते के सड़ने से शासन को हो रही हानि की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री आरिफ अकील, सदस्य, बैरसिया रोड़ स्थित प्रीमियर फोर्जिंग्स फैक्ट्री के बंद होने से उत्पन्न श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, दुर्ग जिले के मारो विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में कालरा बीमारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य रायगढ़ जिले के ग्राम सोना जोरी में जंगल की भूमि पर अवैध कब्जा कर वृक्षों की कटाई की जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, धमतरी स्थित ग्राम मल्हारी में दूषित पेयजल के सेवन से हुई कई लोगों की मृत्यु की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ललित जैन, सदस्य, मध्यप्रदेश स्काउट एवं गाईड्स संस्था को तीन वर्षों से अनुदान राशि न मिल पाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम पदमपुर में आदिवासियों के साथ अकारण मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री मदन गोपाल सिंह, रामविचार नेताम,सदस्य, सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र के अनेकों ग्रामों मे अतिवृष्टि से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 3- प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 4- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य -

(क) विधान सभा क्षेत्र सीतामाऊ में नई टंकी निर्माण कराने,
(ख) मंदसौर के ग्राम नगरी में हायर सेकेण्ड्री स्कूल को हाईस्कूल (10+2) में परिवर्तित करने,
(ग) जावरा-मंदसौर रोड की पुलिया ठीक कराने,
(घ) सीतामाऊ के ग्राम रीछालालमूहा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोलने,
(ड.) सीतामाऊ के ग्राम दलोदा चौपाटी को अलग विकासखण्ड बनाने, तथा
(च) सीतामाऊ के श्री सरसकुंवर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने

103

(2) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय सदस्य -

(क) तहसील गुढ़ के ग्राम नर्रहा मे पंचायत भवन निर्माण कराने,
(ख) ग्राम नर्रहा में बस स्टेण्ड बनाने,
(ग) ग्राम नर्रहा में जूनियर हाईस्कूल खोलने,
(घ) तहसील चुरहट के ग्राम भेलकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा
(ड.) गुढ़ के ग्राम उमरिहा में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण कराने,

(3) श्री झुमुकलाल भेड़िया, सदस्य -

(क) विकासखण्ड डोंडी के ग्राम कुसुमकसा, खलारी, चिपरा, अरमुडकसा की सड़क एवं नाले पर पुल निर्माण कराने तथा
(ख) विकासखण्ड डोंडीलोहरा में महाविद्यालय खोलने

(4) श्री आरिफ़ अक़ील, सदस्य -

(क) भोपाल के कब्रिस्तानों में सड़क निर्माण कराने, तथा
(ख) भोपाल के कब्रिस्तानों में लाईट की व्यवस्था कराने,

(5) श्री रामखिलावन सिंह, सदस्य -

(क) विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के ग्राम ढोढागांव में सिंचाई पंपों हेतु विद्युत लाईन देने,
(ख) तहसील सीतापुर के ग्राम लिचिरमा की माण्ड नदी पर विद्युत सिंचाई पंप लगाने, तथा

(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, भोपाल के उद्धवदास मेहता मार्केट, सुभाष नगर में पेयजल हेतु नल कनेक्शन दिलाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

**5 - शासकीय विधि विषयक कार्य.**

30 मिनिट श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटर परिवहन यानों पर पथकर का उद्ग्रहण (संशोधन) विधेयक 1991 (क्रमांक 19 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**6- अशासकीय संकल्प.**

20 मिनिट (1) श्री आरिफ़ अक़ील, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि भोपाल वासियों को शुद्ध तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राजधानी में तुरन्त नर्मदा जल लाने की कार्यवाही की जाए.

30 मिनिट (2) सर्वश्री जालम सिंह पटेल,गोविन्द शर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में कृषकों को उनकी भूमि स्वामी हक की भूमि में स्थित आइजात प्रजाति की लकड़ी जैसे बबूल, सुबबूल, कोहा, खंम्हर सिरसा, पडरीरीया, नीलगिरी, केजुरिना, करंज, डूमर तथा आम व इमली के सूखे झाड़ अपने निजी उपयोग के लिये पंचायत की अनुशंसा/अनुमति पर काटने तथा चिरान करने की छूट प्रदान की जाए."

20 मिनिट (3) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु मान्य सेवावधि 20 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष की जाये तथा लाभ 25 वर्ष की सेवा का दिया जाए."

20 मिनिट (4) श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की ऐसी समस्त राजस्व की भूमि का पट्टा उनके कब्ज़ेदारों को दिया जाय जो राजस्व अभिलेखों में अभी भी जंगल, झाड़ियां आदि के रूप में दर्ज है".

20 मिनिट (5) श्री करन सिंह वर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

" इस सदन का यह मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या समाधान के लिये 150 जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में एक हैण्डपम्प लगाया जाये".

**7- नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.**

(1) दिनांक 3 जुलाई, 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 519) के उत्तर से उदभूत विषय पर सर्वश्री गोपी कृष्ण नेमा, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 26 जुलाई, 1991 को जल-संसाधन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 2713) के उत्तर से उदभूत विषय पर डा. रमेश, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

**8- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.**

1 घन्टा (1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान /राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/नन्द किशोर खत्री/मदन लाल त्यागी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा (2) प्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के प्रभावी समाधान के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक 1 अगस्त, 1991

**विश्वेन्द्र मेहता**
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा